अप्राकृतिक दुष्कर्म की कोशिश करने वाला आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर 12 जुलाई ।गोला थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की कोशिश करने वाले युवक को पुलिस ने बीएनएस की धारा 137(2), पाक्सो एक्ट व एसीएसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाई कर रही है।

गोला प्रतिनिधि के अनुसार गोला थाना क्षेत्र के एक गाँव के पीड़ित नाबालिग के पिता ने शुक्रवार को पुलिस को तहरीर देकर सूचित किया कि छोटू उर्फ टुनटुन पुत्र दाऊद निवासी चौकड़ी बीते गुरूवार की शाम तकरीबन 6 बजे शाम को हमारे नाबालिग बच्चे को मैजिक मे बैठा कर गाँव के बाहर आम के बागीचे में ले गया। जहां उसके कपड़े को उतारकर उसके साथ गंदी हरकत करने लगा तथा नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। लेकिन सफलता नहीं मिलने पर फिर से घर लाकर छोड़ दिया। इस घटना की जानकारी हमारे नाबालिग बच्चे के द्वारा हमें दी गयी। जिसकी सूचना हमारे द्वारा तुरंत पुलिस को भी दी गयी थी।

अभियुक्त 5 वर्ष तक रह चुका है जेल–छोटू उर्फ टुनटुन पुत्र दाऊद निवासी चौकड़ी हत्या के मामले में पांच वर्ष तक हत्या के जुर्म में जेल में रह चुका है। इस समय वह जमानत पर बाहर था। अभी हत्या का मुकदमा चल रहा है। इसके उपर 2017 में गाँव के ही एक नाबालिग युवक के हत्या का आरोप है। 2023 में हत्या आरोपी जमानत पर बाहर आया था। उस समय भी मृतक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की बात चर्चा में थी।

जेल से छूटने के बाद चला रहा था स्कूल वाहन– हत्या आरोपित पांच वर्ष बाद जेल से छूट कर आने के बाद पड़ोस के गाँव में संचालित विद्यालय का वाहन चला रहा था। प्रश्न तो यह है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा कैसे हत्या आरोपित को बच्चे का वाहन चलाने की अनुमति दी गयी।

नवागत एसडीएम ने पदभार संभाला, कामकाज किया शुरू

गोरखपुर,१२ जुलाई। नवागत उप जिलाधिकारी केसरी नंदन तिवारी ने पदभार संभालने के साथ ही शुक्रवार से कामकाज शुरू कर दिया। बासंगांव प्रतिनिधि के अनुसार उप जिलाधिकारी ने आज अपने कार्यालय में राजस्व निरीक्षकों, माल बाबू, नायब नाजिर, रजिस्ट्रार कानूनगो, कार्यालयों में कार्यरत लेखपालों के साथ बैठक की। एसडीएम ने सभी को निर्देश दिया कि अतिवृष्टि तथा बाढ़ के दृष्टिगत बचाव एवं राहत कार्य के लिए तैयार रहें। उन्होने कहा कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के आवेदन पत्रों का समयबद्ध ढंग से निस्तारण में तेजी लाया जाय। लम्बे समय से पेंडिंग आवेदन पत्रों को शीघ्रता से निस्तारित करें। कार्य में उदासीनता क्षम्य नहीं होगी। सम्बंधित के खिलाफ कार्यवाही संभव है।

नदियों के जलस्तर बढ़ने, बंधे के कटान पर लगातार निगरानी रखी जाये-अनिल ढ़ींगरा

गोरखपुर 12 जुलाई । मण्डलायुक्त अनिल ढ़ीगरा ने आई जी आन्नद कुलकर्णी के साथ जनपद के मलौनी लहसड़ी बन्धे पर सिचाई विभाग के द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण बाढ से बचाव की तैयारियों को देखा। उन्होने मलौनी लहसड़ी बन्धे के ग्राम छितोना एवं ग्राम गौरी मंगलपुर के सिचाई विभाग के द्वारा बन्धे को सुरक्षित रखने के लिये बनाये गये लाचिंग पैड को देखा। निरीक्षण के दौरान उन्होने सिचाई विभाग के अधिकारियो को नदियो के जलस्तर बढने क कारण बन्धे पर होने वाले कटान के दृष्टिगत लगातार निगरानी किया जाये ।उन्होने स्वास्थ विभाग के अधिकारियो को निदेश दिया कि एन्टी वेनम,क्लोरीन की गोलियां आदि सहित आवयश्क दवाओ की समुचित उपलबधता रखी जाये।

मण्डलायुक्त ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियो को निर्देश दिया बाढ के समय बनने वाले राहत शिविर के दृष्टिगत पंचायत भवनो स्कूलो आदि गावों मे साफ सफाई की पुरी व्यवस्था रहे। उन्होने विद्युत विभाग के अधिकारियो को निर्देश दिया कि बाढ के समय बनने वाले राहत शिविर एवं बन्धो पर प्र्याप्त रोशनी की व्यवस्था रहे इस अवसर पर विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे।

❖ मण्डलायुक्त,आईजी ने मलौनी लहसड़ी बंधे का किया निरीक्षण

डीएम ने कलेक्ट्रेट142 कर्मचारियों को वितरित किया रेनकोट, छाता

गोरखपुर,१२ जुलाई। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश कलेक्ट्रेट परिसर पर्यटन भवन पर अपने कर्मचारियों लिपिक वर्गीय/आशुलिपको 64 नजारत अर्दली वाहन चालक 78 कुल 142 कलेक्ट कर्मचारी को बरसात से बचने के लिए रेनकोट छाता वितरित किये। बरसात के मौसम में कोई कर्मचारी भीगने ना पाए सुचारू रूप से अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जा सके जिसकी सुरक्षा के लिए कलेक्ट्रेट प्रशासन अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति सदैव तत्पर रहता है आज कलेक्ट कर्मचारी रेनकोट और छाता पाकर प्रफुल्लित हो गए। और जिलाधिकारी ने अपने कर्मचारियों से कहा कि बरसात होने पर भी कोई कर्मचारी बहाने बाजी ना करने पाए वह अपनी ड्यूटी के प्रति सदैव तत्पर रहे समय से ड्यूटी पर आए जिससे सरकारी कार्य बाधित न होने पाए और समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे अंडर ट्रेनिग उप जिला अधिकारी दीपक सिंह कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ मंत्री विशेष शुक्ला कोषाध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव संयुक्त सचिव सुग्रीव कुमार कचहरी क्लब कोषाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मौजूद रहे।

सम्मान समारोह

आज

गोरखपुर, 12 जुलाई। बालाजी एकडमी गोरखपुर द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र और छात्राओं का विदाई एवं पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन गोरख्परु क्लब सभागार में १३ जुलाई को किया जायेगा। यह जानकारी अविनाश श्रीवास्तव ने दी है।

गोरखधाम सुपरफास्ट ने संचलन के २१वर्ष पूरे किये

गोरखपुर, 12 जुलाई। पूर्वोत्तर रेलवे की दैनिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों में एक 12555/12556 (गोरखधाम एक्सप्रेस) जो गोरखपुर–बठिण्डा–गोरखपुर के बीच चलाई जाती है। इस ट्रेन का शुभारम्भ आज के ही दिन 12 जुलाई, 2003 को यानी आज से 21 वर्ष पूर्व हुआ था। 12 जुलाई, 2003 को पहली बार गोरखपुर से नई दिल्ली के बीच द्वि–साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में चलाई गई थी। अब यह ट्रेन गोरखपुर से बठिण्डा के लिए दैनिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप से चलाई जा रही है। गुरू गोरक्षनाथ की पवित्र नगरी से चलाई जा रही इस गाड़ी का नाम गोरखधाम एक्सप्रेस रखा गया।

जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसका मार्ग विस्तार कई चरणों में रोहतक, भिवानी तथा बठिण्डा जं. तक किया गया। रोहतक तक मार्ग विस्तार के साथ ही इस ट्रेन का संचलन द्वि–साप्ताहिक से दैनिक कर दिया गया। 14 जुलाई, 2022 से इसका मार्ग विस्तार कर बठिण्डा जं. तक किया गया। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों को जोड़ती है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा संचालित इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 3, शयनयान श्रेणी के 4, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 10, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 2, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का 1 कोच, एल.एस.एल.आर.डी. का 1 एवं जेनरेटर सह लगेजयान के 1 कोच सहित कुल 22 अत्याधुनिक एल.एच.बी. कोच लगाये जाते है।

❖ चार राज्यों को जोड़ती है यह ट्रेन ,यात्रियों में अत्यंत लोकप्रिय

अत्याधुनिक एल.एच.बी. कोच यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित, संरक्षित, सुखद एवं आरामदायक बनाती है। पूर्वोत्तर रेलवे की महत्वपूर्ण ट्रेन होने के कारण सेवाओं के गुणवत्ता निगरानी मुख्यालय गोरखपुर द्वारा किया जाता है। यह सुपरफास्ट टेञ्न गोरखपुर से बठिण्डा 1123 किमी. की यात्रा 19.50 घंटे में तय करती है। ट्रेन की स्वच्छता को बनाये रखने के लिए ऑन–बोर्ड हाउसकीपिंग (ओ.बी.एच.एस.) स्टाफ नियमित रूप से तथा यात्रियों की मांग के अनुसार शौचालय एवं कोच की सफाई करते है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेन की नियमित रूप से स्कोर्ट किया जाता है। इस ट्रेन में यात्रियों को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ई–कैटरिंग की सुविधा है जिसमें स्नैक्स, खाद्य सामग्री, चाय/कॉफी, पेय पदार्थ आदि दिये जाते है।

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 12555/12556 गोरखपुर–बठ़िण्डा–गोरखपुर एक्सप्रेस के वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के कोच में अनेक मनोहारी सीनरी लगाई गई है जो ऐतिहासिक एवं कलात्मक महत्व की है। इन तस्वीरों में पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय के महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में लगे स्टीम इंजन, गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्ला खाँ प्राणी उद्यान, रामगढ़ताल नौका विहार, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की महापरिनिर्माण स्थल सहित अनेक कलात्मक चित्र लगाये गये है जो यात्रियों को निसंकोच अपनी ओर आकर्षित करती है। कोच के कोरिडोर में उन्नत किस्म के मैट भी लगाये गये है जो यात्रियों को सुखद यात्रा का अनुभव कराती है।

पांच रेलखण्डों पर यातायात बहाल

गोरखपुर, 12 जुलाई। गत दिनों उत्तराखण्ड एवं तराई क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण लालकुआँ–काठगोदाम रेल खण्ड के लालकुआँ यार्ड एवं लालकुआँ–काशीपुर रेल खण्ड के बाजपुर यार्ड में जल जमाव, पीलीभीत–टनकपुर रेल खण्ड– खटीमा–बनबसा स्टेषनों के मध्य, भोजीपुरा–पीलीभीत रेल खण्ड–पीलीभीत–शाही स्टेशनों के मध्य, पीलीभीत–शाहजहाँपुर रेल खण्ड–बिसलपुर–निगोही स्टेशनों के मध्य जल जमाव तथा पीलीभीत–मैलानी रेल खण्ड–माला–शाहगढ़ स्टेशनों के मध्य ब्रीच (कटान) होने के कारण रेल यातायात बाधित हो गया। ज्ञातव्य है कि 8 जुलाई, की रात्रि में टनकपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्र में अप्रत्याषित रूप से 431 मिमी. वर्षा होने, नानक सागर बांध से 39000 क्यूसेक, लाहौरिया बांध से 3000 क्यूसेक और शारदा नदी के बनबसा बांध से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से पूरे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन गयी है।

वरिष्ठ रेल अधिकारियों की निगरानी में इन रेल खण्डों पर रेल संचलन बहाल करने के लिए रेस्टोरेशन कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, तथा नदियों के जल स्तर पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। लालकुआँ–काठगोदाम रेल खण्ड 8 जुलाई, को 16 बजे से तथा लालकुआँ–काषीपुर रेल खण्ड 9 जुलाई, को 6.30 बजे से संरक्षित रेल यातायात हेत बहाल कर दिया गया है ।पीलीभीत–टनकपुर रेल खण्ड पर खटीमा–बनबसा स्टेषनों के मध्य रेल कर्मचारियों के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप 10 जुलाई, को 20.40 बजे से खटीमा–बनबसा रेल खंड पर ट्रेनों का संचलन बहाल कर दिया गया है और पहली गाड़ी 05392 टनकपुर–पीलीभीत अनारक्षित विशेष गाड़ी का 11 जुलाई, से प्रारम्भ कर दिया गया। पीलीभीत–भोपतपुर रेल खंड पर भी रेस्टोरेशन कार्य पूरा कर ट्रेनों का संचलन बहाल कर दिया गया है और आज से इस खण्ड पर ट्रेनों का संचलन प्रारम्भ कर दिया गया है ।भोजीपुरा–पीलीभीत रेल खण्ड पर शाही के पास देवहा नदी में आई बाढ़ के कारण ब्रीच (कटान) हो गया, जिससे निपटने के लिए रेल प्रशासन ने अपने अनुभवी इंजीनियरों की निगरानी में रेस्टोरेशन कार्य चल रहा है, यहाँ पर लगभग 65 श्रमिक कार्य कर रहे है, जो एक मैटेरियल ट्रॉली द्वारा लाये गये लगभग 37 घन मीटर बोल्डर को साइट पर लगा रहे हैं। बोल्डर एवं सिण्डर लाने का कार्य चल रहा है। रेलवे द्वारा रात–दिन रेस्टोरेशन कार्य किया जा रहा है। माला–शाहगढ़ स्टेशनों के मध्य पुलिया सं.–305 के रेस्टोरेशन हेतु इंजीनियरिंग विषेषज्ञों की निगरानी में लगभग 90 श्रमिक अथक परिश्रम कर रहे है, यहाँ पर 4 वैगनों में लगभग 64.4 घनमीटर बोल्डर लाये गये। 3 मटेरियल ट्राली की मदद से बोल्डर एवं सिंडर यहाँ ब्रीच (कटान) साइट पर एकत्र कर लिये गये है। श्रमिकों की मदद से बोल्डर को ब्रीच (कटान) स्थल पर लगाया जा रहा है। अतिरिक्त बोल्डर लाने का कार्य भी किया जा रहा है। यहाँ आर.एच. गर्डर लगाकर ट्रेनों का संचलन बहाल किया जायेगा।

❖ नदियों के जलस्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर

जानलेवा बने खुले नाले

गोरखपुर,१२ जुलाई। नगर पंचायत चौरीचौरा के वार्ड संख्या एक बुद्धनगर में निर्मित नाले पर स्लैप नही लगने से बरसात के मौसम में जानलेवा साबित हो रहा है। नगर पंचायत के रास्ते बघाड की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे लगभग डेढ़ करोड़ की लागत से नाले का निर्माण हुआ है। चौरी चौरा प्रतिनिधि के अनुसार नाले का निर्माण होने के बाद भी ठेकेदार अभी तक नाले पर स्लैप नही लगाया गया।

निशा श्रीवास्तव ने तहसीलदार चौरीचौरा का पदभार किया ग्रहण

गोरखपुर,१२ जुलाई। स्थानांतरित होकर गोरखपुर जिले में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने आई निशा श्रीवास्तव को डीएम ने तहसीलदार चौरीचौरा के रूप में निशा श्रीवास्तव को पूर्व तहसीलदार हर्षवर्धन की जगह तैनात किया है। निशा श्रीवास्तव ने गुरुवार को चौरीचौरा तहसीलदार के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया।

चौरी चौरा प्रतिनिधि के अनुसार मूल रूप से महराजगंज जिले की रहने वाली निशा श्रीवास्तव 2014 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं। इससे पहले उनकी तैनाती प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में बतौर तहसीलदार रही। शासन के द्वारा ऐतिहासिक स्थली चौरीचौरा तहसील के तहसीलदार के रूप में किया है। अपना पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि शासन के द्वारा जारी निर्देशों और योजनाओं को क्रियान्वित करना और जनता को त्वरित न्याय दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। तहसील क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनना और प्राथमिकता के आधार पर उनका नियमानुसार निस्तारण करना उनकी प्राथमिकता में शामिल होगा।

❖ जनता को त्वरित न्याय और सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन होगी पहली प्राथमिकता

दो ट्रेनें रहेंगी निरस्त

गोरखपुर, 12 जुलाई। रेलवे द्वारा इज्जतनगर मण्डल के पीलीभीत–शाही रेल खण्ड पर भारी वर्षा एवं बाढ़ के पानी से यातायात बाधित होने के कारण गाड़ियों का निरस्तीकरण, शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन किया गया है। 15074/15076 टनकपुर–सिंगरौली/शक्तिनगर एक्सप्रेस 13 जुलाई, से अगली सूचना तक निरस्त रहेगी। 15075/15073 सिंगरौली /शक्तिनगर–टनकपुर एक्सप्रेस 14 जुलाई, से अगली सूचना तक निरस्त रहेगी। देहरादून से 14 जुलाई, से चलने वाली 15019 देहरादून–टनकपुर एक्सप्रेस टनकपुर के स्थान पर बरेली सिटी में यात्रा समाप्त करेगी। टनकपुर से 13 जुलाई, से चलने वाली 15020 टनकपुर–देहरादून एक्सप्रेस टनकपुर के स्थान पर बरेली सिटी से चलायी जायेगी।

ICICI Home Finance | **कारपोरेट कार्यालय:**-आईसीआईसीआई होम फाईनेंस कम्पनी लिमिटेड,आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059 इण्डिया।
शाखा कार्यालय:- भूमि तल, एल्डिको हाउस, एल्डिको शापी,हाल-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-206010

(देखें-नियम-8(6) के प्राविधान)
अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु सूचना

सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (इन्फोर्समैण्ट) रूल्स-2002 के नियम-8(6) के प्राविधानों सहित सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समैण्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट-2002 के अर्न्तगत अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा कर्जदारों एवं गारण्टीदाताओं को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि आईसीआईसीआई होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा सिक्योर्ड क्रेडिटर को बन्धक की गई/ प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति का **भौतिक कब्जा** ले लिया गया है तथा उसे नीचे दिये गये संक्षिप्त विवरण के अनुसार ***जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है*** के आधार पर बिक्री की जायेगी।

क्र.सं.	कर्जदार/सह-कर्जदारों/गारण्टीदाताओं/विधिक उत्तराधिकारियों के नाम ऋण खाता संख्या	ज्ञात प्रभारों यदि कोई है/सहित प्रतिभूति व सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि	रिजर्व कीमत धरोहर धनराशि जमा	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	मोहम्मद वसीम (कर्जदार) गुलशन फातिमा, सत्य प्रकाश (सह-कर्जदार) ऋण खाता संख्या- LHGOR00001527786 & LHGOR00001528270	मकान आराजी नं. 331, मौजा तिमारअहमत टप्पा-उजियार, परगना-मगहर पूरब,तहसील-खलीलाबाद, जिला-संतकबीर नगर	रू. 7,86,637/- जुलाई 02,2024	रू. 36,04,680/- रू. 3,60,470/-	अगस्त 05, 2024 पूर्वान्ह-11.00 बजे अपरान्ह-03.00 बजे	अगस्त 14,2024 अपरान्ह-2.00 बजे अपरान्ह-03.00 बजे

आन लाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी **ग्लोब टेक** के वेबसाइट (**URL Link-https://BestAuctionDeal.com**) हमारी नीलामी एजेंसी ग्लोब टेक पर संचालित की जायेगी/बंधक कर्ताओं को **अगस्त 13, 2024** तथा **अपराह्न-5.00 बजे** के पूर्व तक अतिरिक्त ब्याज सहित कुल बकाया का भुगतान करने के लिये अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। अन्यथा इन सिक्योर्ड सम्पत्तियों को उपरोक्त शेड्यूल के अनुसार बिक्री कर दी जायेगी।
अपेक्षिक बिडर्स धरोहर धनराशि जमा (ई.एम.डी.) आर.टी.जी.एस./डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) (कालम/(ई) देखे) को **आई.सी.आई.सी.आई. होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड,भूमि तल, एल्डिको हाउस, एल्डिको शापी,हाल-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-206010** पर **अगस्त 13, 2024** के पूर्व अथवा तक **अपराह्न 04.00** बजे के पूर्व अवश्य जमा कर देवे/ कृपया ध्यान दे यदि अपेक्षित बिडर्स उपरोक्त समय के अनुसार अपने आफर जमा करने में असमर्थ होगे तब निविदा प्रपत्रों की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि **आई.सी.आई. सी. आई.होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड, भूमि तल, एल्डिको हाउस, एल्डिको शापी,हाल-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-206010** पर **अगस्त 13, 2024** के पूर्व अथवा तक **अपराह्न 5.00 बजे** पूर्व जमा किया जा सकता है। धरोहर धनराशि जमा डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) **आई.सी.आई.सी.आई.होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड-आक्शन** के पक्ष में **संतकबीर नगर** में देय किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के **आई.सी.आई.सी.आई.होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड**- स्थान **संतकबीर नगर** के नाम होना चाहिये।
निरीक्षण, नीलामी की नियम तथा शर्ते अथवा निविदा के जमा के संबंध में किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण हेतु कृपया **आई.सी.आई.सी.आई.होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड** से **9920807300** या हमारे **सेल्स और मार्केटिंग हिस्सेदार नैक्सजेन सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड** से सम्पर्क किया जा सकता है।
अधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी अथवा सभी बिड्स को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विक्रय के विस्तृत नियम तथा शर्तो हेतु कृपया **https://www.icicihfc.com** देखें।

दिनांक: जुलाई 13, 2024
स्थान: संतकबीर नगर।

अधिकृत अधिकारी
आई.सी.आई.सी.आई.होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड
CIN Number-U65922MH1999PLC120106

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33004/99 | Regd. No. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.–डी.एल.–अ.–04072024–255131
CG-DL-E-04072024-255131
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II–खण्ड 3–उप–खण्ड (ii)
PART II - Section 3 - Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2418] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2024/आषाढ 11, 1946
No. 2418] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2024/ASHADHA 11, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2024

का. आ. 2553– केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले के गाँव ठाकुर नगर, नयनसर, साहबगंज, बसन्तपुर, बादशाहपुर, बगही भारी, बजहा, बढ़या, मुहम्मदपुर, रसूलपुर चकिया, रायपुर, रामचैरा, कैम्पियर नगर, कूई, कुन्जलगढ़, अमरहा, अलेनाबाद, लोहरपुरवा, भईयाराम, जंगल बिहुली, जंगल अगही, जंगल झझवां, चौमुखा तालुक कैम्पियरगंज और गाँव जंगल कौड़ीया, तालुक–सदर गोरखपुर में NH29E के कि.मी. 56 से कि.मी.80 तक के भू–खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप– धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं०सं०), गोरखपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप–धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले के गाँव ठाकुर नगर, नयनसर, साहबगंज, बसन्तपुर, बादशाहपुर, बगही भारी, बजहा, बढ़या, मुहम्मदपुर, रसूलपुर चकिया, रायपुर, रामचैरा, कैम्पियर नगर, कुई, कुन्जलगढ़, अमरहा, अलेनाबाद, लोहरपुरवा, भईयाराम, जंगल बिहुली, जंगल अगही, जंगल झझवां, चौमुखा, तालुक–कैम्पियरगंज और गाँव– जंगल कौड़ीया, तालुक–सदर गोरखपुर मे NH29E के कि.मी. 56 से कि.मी.80 लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

फा.सं. 11033/GKP/LA-NH-29E(Sonauli-Jangal Kauriya)/2018-2019/3A2
अभय जैन, उप. सचिव

जिला: गोरखपुर
https://egazette.gov.in
प्रकाशन तिथि: 2 July 2024
https://egazette.gov.in
https://bhoomirashi.gov.in

नोट: इस अधिसूचना की वास्तविक प्रति सीएएलए/पीआईयू/पीएमयू/आरओ/ईडी के कार्यालय में भी उपलब्ध है और भूमि मालिक वहां भी अधिसूचना देख सकते हैं।